न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–470/2018 (2018/00441) दर्ज दिनांक 20.12.2018

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

भागीरथ आत्मज बेणा गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. गोपीलाल आत्मज देवा गुर्जर निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलावाड़ा
   मृतक के बजायः–
   2/1. श्रीमती रामी पत्नि गोपीलाल गुर्जर
   2/2. रमेश आत्मज गोपीलाल गुर्जर
   2/3 लादु आत्मज गोपीलाल गुर्जर
   2/4 कैलाशी पुत्री गोपीलाल गुर्जर
   2/5 मांगी पुत्री गोपीलाल गुर्जर
   2/6 गणी पुत्री गोपीलाल गुर्जर
   सर्व निवासी चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री एम0एस0 चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत
पेरोकार सरकार

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट** ::

निर्णय दिनांकः– 12.02.2021

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध [illegible] ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी [illegible] आराजी संख्या 183/5 रकबा 6 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज [illegible] नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह कि उक्त वर्णित आराजी का बन्दोबस्त के दौरान नवीन नम्बर 208 रकबा 1.20 हे0 व 209 रकबा 0.01 हे0 गै0मु0 खड्डा कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हे0 कायम किये गये है जबकि साबिक जमाबंदी अनुसार 6 बीघा के नवीन रकबा 1.30 हे0 कायम किया जाना था और प्रार्थी की आराजी का साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शा को फीट नहीं किया है व नक्शा दक्षिण की तरफ विपक्षी संख्या दो की तरफ कम कर दिया है व विपक्षी संख्या दो की हाल आराजी संख्या 210 में मेरी साबिक आराजी के नक्शे के भाग को दर्शा दिया गया हैं। हाल नक्शे में लाल स्याही से बने कुंए विपक्षी संख्या दो के ऊपर से मुझ प्रार्थी की साबिक आराजी व नक्शा था , जिसे बन्दोबस्त के समय गलत ढंग से नवीन नक्शे में फीट कर प्रार्थी के आराजी के नवीन रकबे को कम कर दिये जाने से उसे दुरूस्त कराया जाना व साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे को तरमीम कराया जाना आवश्यक है व साबिक रकबा प्रार्थी का साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में दुरूस्त कराया जाना भी आवश्यक है। आराजी संख्या 210 की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 व प्रार्थी की हाल आराजियात की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 एवं मिलान क्षेत्रफल व सेटलमेन्ट की पानड़ी आदि साथ प्रार्थना पत्र के पेश हैं।

यह कि प्रार्थी की साबिक आराजी 6 बीघा अनुसार ही मौके पर साबिक नक्शे अनुसार प्रार्थी अपनी जमीन पर काबिज है लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी की साबिक आराजी का रकबा 0.09 हे0 कम कर देने व साबिक नक्शे अनुसार नया नक्शा विपक्षी की हाल आराजी नं0 210 में उसके लाल स्याही से दर्शाये गये कुंए के ऊपर तक प्रार्थी का साबिक नक्शा था उसी अनुरूप हाल नक्शे में फीट किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की हाल आराजी संख्या 208 का रकबा साबिक अनुसार सम्पूर्ण कराया जाकर विपक्षी संख्या दो की आराजी संख्या 210 में लाल स्याही से अंकित कुंए के ऊपर तक साबिक नक्शे के अनुसार फीट कराये जाने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। पेरोकार उपस्थित विपक्षी एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी के अधिवक्ता एवं पेरोकार को जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त

प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा से तलब की गई जो इस प्रकार है:–

मौके अनुसार राजस्व ग्राम चावण्डिया का वर्तमान आराजी नं0 208 रकबा 1.20 हे0, 209 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 02 [illegible] पिता बेणागुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि गत भूप्रबंध में वादी [illegible] 3/5 रकबा 6 बीघा दर्ज थी। जिससे 1.30 हे0 भूमि बनती है। इस [illegible] दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

वर्तमान 208, 209 की रकबा बरारी से रकबा 1.21 हे0 आता है। वादी का वक्त आवंटन से ही नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी लाईन तक कब्जा मौके पर है। थोहर बाड़ लगी हुई हैं। प्रतिवादी गोपी पिता देवा गर्जर सा.देह की खातेदारी आराजी नं0 210 रकबा 1.08 हे0 है जिसके पुराने नम्बर मिलान क्षेत्रफल अनुसार 145/185/2 रकबा 5 बीघा है। प्रतिवादी गोपी पिता देवा गुर्जर सा.देह की खातेदारी आराजी नं0 210 रकबा 1.08 हे0 में से लगती हुई बिलानाम का0का0 आराजी नं0 210/1251 रकबा 0.46 हे0 बारानी III है। जिस पर प्रतिवादी गोपी गुर्ज के वारिसार का कब्जा है । गोपी पिता देवा गुर्जर की मृत्यु हो चुकि है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया। एवं विपक्षी संख्या एक के अधिवक्ता पने प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चावण्डिया का वर्तमान आराजी नं0 208 रकबा 1.20 हे0, 209 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.21 हे0 वादी भागीरथ पिता बेणागुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि गत भूप्रबंध में वादी के नाम 183/5 रकबा 6 बीघा दर्ज थी। जिससे 1.30 हे0 भूमि बनती है। इस प्रकार वादी के 0.09 हे0 भूमि कम दर्ज की गई। राजस्व नक्शे की रकबा बरारी करने पर रकबा कम आता है। जिससे प्रार्थी का नक्शा पूर्व की भांति 0.09 हे0 बढ़ा कर 1.30 हे0 का पूरा किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को राजस्व ग्राम चावण्डिया का वर्तमान आराजी नं0 208 रकबा 1.20 हे0, 209 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 02 रकबा 1.21 हे0 छोटा बनाया जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का नक्शा पूर्व की भांति 0.09 हे0 बढ़ा कर 1.30 हे0 का पूरा किया जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested